II

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 403730 पटना, दिनांक 31/12/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(राज्यांश)-106-01/2018

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के में योजना कार्यान्वयन के लिए अनुसूचित जाति मद में विमुक्त केन्द्रांश के विरूद्ध देय आनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी हेतु योजना मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप योजना, उप शीर्ष-0302-इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0), विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण विपत्र कोड-42-2216037890302 में ₹ 66371.480 लाख (छः अरब तीरेसठ करोड़ एकहत्तर लाख अड़तालीस हजार रूपये) का आवंटन के संबंध में ।**

प्रसंग :- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-403342 दिनांक-27.12.2018

महाशय,

निदेशानुसार प्रसंगित स्वीकृत्यादेश के संदर्भ में योजना व्यय के लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-J-12014/03/2016-RH(A/C)-1/A- Bihar दिनांक-18.05.18 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में निर्धारित लक्ष्य के आवास निर्माण पर होने वाले व्यय के लिए अनुमान्य द्वितीय किस्त केन्द्रांश एवं भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या- J-12014/01/2017-RH(A/C)-2- Bihar दिनांक-26.12.2018 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में निर्धारित लक्ष्य के आवास निर्माण पर व्यय के लिए अनुमान्य प्रथम किश्त केन्द्रांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 में विमुक्त राशि के विरूद्ध देय आनुपातिक राज्यांश (60:40) की निकासी हेतु क्रमश: ₹ 46962.730 लाख एवं ₹ 19408.750 लाख कुल ₹ 66371.480 लाख (छः अरब तीरेसठ करोड़ एकहत्तर लाख अड़तालीस हजार रूपये) आवंटित की जाती है ।

2) यह आवंटन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-403342 दिनांक-27.12.2018 द्वारा स्वीकृत राशि से किया जाता है।

3) आवंटित राशि मांग संख्या-42 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2216-आवास, उप मुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण आवास, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप योजना, उप शीर्ष-0302-इंदिरा आवास योजना (आई0ए0वाई0) में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (अनुसूचित जाति के लिए) के कार्यान्वयन के लिए विषय शीर्ष-31-सहायता अनुदान, 0302.31.05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-42-2216037890302 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

4) विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी ।

5) वित्त विभाग के पत्र सं0-3234 दिनांक-04.05.18 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के व्यय हेतु वित्त विभागीय पत्र सं0-2561 वि.(2) दि0-17.04.98 की कंडिका-2 में प्रावधानित बंधेज को पूर्ण रूप से शिथिल किया गया है । इस आवंटित राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्र सं0-2561 वि.(2) दि0-17.04.98 एवं इस संदर्भ में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रावधानों एवं बंधेजो के अंतर्गत की जायेगी ।

6) वित्त विभाग के पत्र सं0-7355 वि.(टि.) दिनांक-05.10.07 में निहित निदेश के आलोक में स्वीकृत राशि की कोषागार से निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

7) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा आवंटित राशि की निकासी कर बिहार रूरल डेभलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS) के संचालनाधीन BRDS State Nodal Account PMAY-G के नाम से ICICI बैंक, किदवईपुरी शाखा, Near Income Tax गोलम्बर, पटना-800001 में संधारित खाता संख्या-431701000244,IFSC Code-ICIC0004317, MICR Code-800229028 में जमा किया जायेगा तथा विभागीय निदेश के आलोक में उक्त बैंक खाता से राशि का FTO (Fund Transfer Order) के माध्यम से व्यय किया जायेगा ।

8) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आवंटित राशि की निकासी के पश्चात बैंक खाता में जमा करके विभागीय प्रशाखा-5 को सूचित करेंगे तथा कोषागार प्रमाणक एवं तिथि सहित निकासी की गई राशि की विवरणी महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बिहार, पटना एवं विभागीय बजट शाखा (प्रशाखा-10) को अविलम्ब उपलब्ध करायेंगें ।

9) उक्त जमा राशि का लेखा-जोखा, आदि का संधारण बिहार रूरल डेवलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS) द्वारा अलग से किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार एवं भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।

10) इसकी सूचना महालेखाकार (ले.हक.), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन

(राधा किशोर झा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 403730 पटना, दिनांक 31/12/18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 403730 पटना, दिनांक 31/12/18

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 403730 पटना, दिनांक 31/12/18

प्रतिलिपि:- श्री बी0सी0बेहेरा, निदेशक (ग्रामीण आवास), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेभलपमेन्ट सोसाईटी (BRDS), ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि- विभागीय बजट प्रशाखा-10/सांख्यिकी प्रकोष्ठ/आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग/प्रशाखा-5 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसकी एक प्रति प्रशाखा-5 के रक्षी पंजी में संधारित की जाएगी ।

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव